



बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,
generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- https://khagria.nic.in

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के आश्रित द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में निम्नलिखित शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द (Cancel) किया जाता है तथा उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं करतूस को उनके नाम के सामने उल्लेखित प्रतिष्ठान में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

क्र०	आवेदक का नाम एवं पता	मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम	अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	शस्त्र जमा एवं रद्द करने का कारण	जमा करने वाले प्रतिष्ठान का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	समदर्शी, पिता-स्व० अरविन्द कुमार सिंह, ग्राम+पो०-रहीमपुर पंचखुट्टी, वार्ड नं०-12, थाना-मुफ्फसिल, जिला-खगड़िया	अरविन्द कुमार सिंह	02/1993 (खगड़िया थाना)	दोनाली बन्दूक	मृत्यु	मे० डिलक्स आर्म्स को०, खगड़िया
2.	राकेश कुमार सिन्हा, पिता-स्व० अवधेश कुमार, ग्राम-शेखपुरा, पो०-मथुरापुर, थाना-मुफ्फसिल, जिला-खगड़िया	अवधेश कुमार	08/2007 (खगड़िया थाना)	राईफल	मृत्यु	मे० डिलक्स आर्म्स को०, खगड़िया

संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित को आदेश दिया जाता है कि वे शस्त्र संबंधित प्रतिष्ठान में जमा करने के बाद आयुध नियम-2016 के आलोक में नियमानुसार मो०-1000/- (एक हजार) रुपये सरकारी खाता में चालान के माध्यम से जमा करने के पश्चात् चालान की मूल प्रति, शस्त्र जमा करने की प्रति रसीद एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका (मूल में) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं शस्त्र लिपिक इसकी प्रवृष्टि अनुज्ञप्ति पंजी में करना सुनिश्चित करेंगे।

20/-
जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

- ज्ञापांक IV-03/2020.....500...../जी०, दिनांक 19.4.21
- प्रतिलिपि : आवेदक समदर्शी, पिता-स्व० अरविन्द कुमार सिंह, ग्राम+पो०-रहीमपुर पंचखुट्टी, वार्ड नं०-12, थाना-मुफ्फसिल, जिला-खगड़िया एवं राकेश कुमार सिन्हा, पिता-स्व० अवधेश कुमार, ग्राम-शेखपुरा, पो०-मथुरापुर, थाना-मुफ्फसिल, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, खगड़िया/मुफ्फसिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : मे० डिलक्स आर्म्स को०, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी०प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी